गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की अति आवश्यक बैठक दिनांक 31.05.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की अति आवश्यक बैठक दिनांक 31.05.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सचिव
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
6.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

01 प्रो0 जी.के. पात्रा
02 प्रो0 व्ही.एस. राठौर
03 प्रो0 पी.के. बाजपेयी
04 प्रो0 ए.एस. रणदिवे
05 प्रो0 एल.पी. पटैरिया
06 प्रो0 एम.के. सिंह

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु निर्मित आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों हेतु पूर्व रोस्टर में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 36035/02/2017-Estt(Res) दिनाक 15 जनवरी 2018 एवं No. 36035/01/2019-Estt(Res) दिनाक 31 जनवरी 2019, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No. 38-11/2018-CU-V दिनांक 29 मई 2019 एवं 30 मई 2019 के अनुरूप संशोधनों के साथ निर्मित रोस्टर एवं रोस्टर अनुसार विभागवार पदों का अवलोकन किया।

समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के आचार्य एवं सह आचार्य पदों पर अपिव वर्ग के आरक्षण उपरान्त पदों के युक्तिकरण हेतु निम्नानुसार संशोधन किये जायें।

आचार्य पद हेतु पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अपिव पद को रसायनशास्त्र के सामान्य पद से बदला जाये, इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजी. विभाग के अपिव पद को

सूचना प्रौद्योगिकी इंजी. विभाग के सामान्य पद से बदला जाये एवं वनस्पति शास्त्र के अजजा पद को भौतिक शास्त्र के सामान्य पद से बदला जाये।

सह आचार्य पद हेतु सूचना प्रौद्योगिकी इंजी. विभाग के अपिव पद को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सामान्य पद से बदला जाये, अर्थशास्त्र विभाग के अपिव पद को वाणिज्य विभाग के सामान्य पद से बदला जाये एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के अपिव पद को फार्मेसी विभाग के सामान्य पद से बदला जाये।

उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन कर रोस्टर को अनुमोदित किया गया तथा इसके अनुसार शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 02 फोरेंसिक साईस विभाग हेतु अर्हता में allied subject के निर्धारण के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा फोरेंसिक साइंस विभाग हेतु अर्हता में **allied subject** के निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई तथा प्रथमतः इस हेतु रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, क्रिमिनोलॉजी, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र को इस हेतु मान्य किया जाये। इसके अतिरिक्त फोरेंसिक साइंस विभाग हेतु अन्य विषयों एवं अन्य विभागों हेतु **allied subject** के लिये समिति का गठन किया जाये तथा समिति गठन हेतु विद्यापरिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षा महोदया को अधिकृत किया जाये।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01. AICTE Regulation 2018 को अंगिकृत करने के संबंध में।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा विश्वविद्यालय के संबंधित विभागों में शैक्षणिक पदों की नियुक्ति एवं अन्य प्रयोजनों हेतु AICTE द्वारा जारी AICTE Regulation 2018 को अंगिकृत किये जाने की अनुशंसा की गई तथा नवीन विज्ञापन में इसी अनुसार अर्हता रखे जाने की अनुशंसा की गई।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव **कुलपति / अध्यक्ष**